न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735

परिवाद संख्या 146/2019

सविता **प्रति** पुष्पा पाठक आदि।
थाना दरगाह शरीफ, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा–II, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **पुष्पा पाठक, मंजीत पाठक, संध्या पाठक उर्फ सुधा पाठक, उमेश पाठक व छोटू पाठक** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 25.03.2019 को, बहद स्थान मोहल्ला हमजापुरा, थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्तगण ने परिवादिनी सविता को जातिसूचक गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोक शान्ति भंग कर सकती थी। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने परिवादिनी को भयाक्रान्त करने की नियत से जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने परिवादिनी को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की है, के विरूद्ध अपराध किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1)(द ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा–II)
दिनांक 06–07–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा–II)
दिनांक 06–07–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

परिवाद संख्या 146/2019

सविता **प्रति** पुष्पा पाठक आदि।
थाना दरगाह शरीफ, बहराइच।

06–07–2026

मुकदमा पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण **पुष्पा पाठक, मंजीत पाठक, संध्या पाठक उर्फ सुधा पाठक, उमेश पाठक व छोटू पाठक** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्तगण **पुष्पा पाठक, मंजीत पाठक, संध्या पाठक उर्फ सुधा पाठक, उमेश पाठक व छोटू पाठक** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 504, 506 एवं धारा 3(1)(द ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।